संख्या- 105/2024/1913/छप्पन-2024-98/2013

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
लखनऊ, उ0प्र0।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2024

विषयः आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु क्रय/अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर स्थित 413 वृक्षों के पातन के बदले 10 गुना पौधों के रोपण एवं 10 वर्ष के अनुसंरक्षण तथा 3 फुट बाउण्ड्रीबाल एवं चैनलिंक फेंसिग सहित की धनराशि रू0 3,56,34,700.00/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 259/आर0सी0एस0-2024-ए-4/2019 दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-1404/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 05.11.2024 एवं आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सम्बोधित जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 4118/अ0जि0भू0अ0/आगरा/ ST दिनांक 12.11.2024 के क्रम में आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु क्रय/अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर स्थित 413 वृक्षों के पातन के बदले 10 गुना पौधों के रोपण हेतु वांछित धनराशि रू0 3,56,34,700.00/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन हेतु प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु रू0 3,56,34,700/- की मांग की गयी है, जिसका विवरण (प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के अनुसार) निम्नवत है:-

1.	4130 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण चैनलिंक फेंसिंग सहित	रू0 1,37,09,100/-
2.	121 पौधों के ट्रान्सलोकेशन एवं 02 वर्ष के अनुरक्षण सहित	रू0 17,89,000/-
3.	4000 पौधों का आयरन ट्रीगार्ड में रोपण एवं 10 वर्ष का अनुरक्षण	रू0 2,01,36,600/-
कुल		**रू0 3,56,34,700/-**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु क्रय/अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर स्थित 413 वृक्षों के पातन के बदले 10 गुना पौधों के रोपण एवं 10 वर्ष के अनुसंरक्षण तथा 3 फुट बाउण्ड्रीबाल एवं चैनलिंक फेंसिग सहित की वांछित धनराशि रू0 3,56,34,700.00/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 3,56,34,700.00/- (रूपए तीन करोड़ छप्पन लाख चौंतीस हजार सात सौ मात्र) जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
10. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,56,34,700.00/- (रूपया तीन करोड़ छप्पन लाख चौंतीस हजार सात सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, आगरा के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय से वहन की जाएगी।

3/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-198/दस-2024-2025, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 105/2024/1913(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10 ।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4- जिलाधिकारी, आगरा।
5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13 ।
8- कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा ।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।